(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प हरियाढाणा

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
गजराज		राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या–125/2021

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर वा तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
29.10.2021	प्रार्थी गजराज पुत्र लालाराम जाति मेहतर निवासी हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर **कैम्प हरियाढाणा** में धारा–88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 906/8 रकबा 0.2993 हैक्टेयर की आयी हुयी है। उक्त खातेदारी भूमि को वादी के पिता लालाराम जाति मेहतर निवासी हरियाढाणा की थी। उपरोक्त खातेदारी भूमि को मेरे पिता ने बंटवाडा कर दिया वक्त बंटवाड़ा में मेरा नाम गजराज के बजाय राजाराम दर्ज करवा दिया। जबकि प्रार्थी का नाम गजराज है तथा प्रार्थी के सरकारी दस्तावेज भी गजराज पुत्र लालाराम के नाम से जारी किये हुए है अन्त में निवेदन किया कि खातेदारी भूमि में राजाराम पुत्र लालाराम के स्थान पर गजराज पुत्र लालाराम की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जावे। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी गजराज ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान दर्ज करवाये। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादी गजराज का आधारकार्ड, पहचान पत्र, पेनकार्ड, राशनकार्ड, जनआधारकार्ड, यूको बैंकडायरी, जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 आदि को पेश किये है। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर कार्यालय ग्राम पंचायत हरियाढाणा द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र दिनांक 29.10.2021 को पेश किया है। वादो ने अपना गवाह गणपतराम पुत्र लालाराम जाति मेहतर के बयान कलमबद्ध कराये गये। तहसीलदार बिलाड़ा से उपरोक्त खातेदारी भूमि का जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा नें जवाब पेश किया, जो जवाब को शामिल पत्रावली कराया गया। वादी ने मजमा आम में निवेदन किया कि मेरा नाम उपरोक्त खातेदारी भूमि में राजराम गलत लिख दिया गया है, गलत प्रविष्टि के कारण मै कोई भी भूमि के सम्बंध में सरकारी सहायता प्राप्त करने से वंचित हो रहा हूं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्वातेजों का अध्ययन करन से विदित होता है कि वादी का नाम गजराज के बजाय राजाराम दर्ज कर दिया गया है, जो एक त्रुटी है। उक्त वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 906/8 रकबा 0.2993 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि में राजाराम पुत्र लालाराम के स्थान पर गजराज पुत्र लालाराम की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। इसी माफिक निर्णय का [illegible] जारी हों, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। [illegible] गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम हरियाढाणा में खुले में सुनाया [illegible] Signature Not Verified Digitally signed by Bhawani Singh Date: 2022.02.25 15:58:08 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा	

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प हरियाढाणा

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी **बनाम** **प्रतिवादी**

वादी	प्रतिवादी
गजराज पुत्र लालाराम	राजस्थान सरकार जरिये
जाति मेहतर निवासी हरियाढाणा	तहसीलदार बिलाड़ा
तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर	

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :— 125/2021

निर्णय **दिनांक** :— 29.10.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी वादी स्वयं मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या—1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे"ा होकर हुक्म दिया जाता है कि अतः ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 906/8 रकबा 0.2993 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि में राजाराम पुत्र लालाराम के स्थान पर गजराज पुत्र लालाराम की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज — मुबलिग — बाबत् —

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह — सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक — की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29.10.2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि"नर			फीस कमि"नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :—इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 15:58:08 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 15:58:08 IST
Reason: SelfAttested